कार्यालय, महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I] स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0 ए0/एस0 एस0 –1/श0 स्था0 नि0/ 14396/1515 दिनांकः– 29.01.14

सेवा में,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार सरकार,

महाशय,

नगर निगम आरा के वर्ष 2012–13 तक के लेखाओं पर आधारित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन सं. 323/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखा परीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

नगर निगम, आरा
अंकेक्षण प्रतिवेदन सं. 323/13–14
(वर्ष– 2012–13)

1. **प्रस्तावना**

नगर निगम, आरा के वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखाओं की नमूना जाँच महालेखाकार (ले0प0), सामाजिक प्रक्षेत्र– I बिहार, पटना के एक लेखापरीक्षा दल द्वारा दिनांक 15.4.2013 से 11.5.2013 की अवधि में किया गया।

2. **प्रशासनः–**

(i)	**अध्यक्ष का नाम**	**अवधि**
	श्री सुनील कुमार	01.04.2012 से 31.03.2013 तक
(ii)	**उपाध्यक्ष का नाम**	**अवधि**
	श्री बसंत सिंह	01.04.2012 से 31.03.2013 तक
(iii)	**कार्यपालक पदाधिकारी,**	**अवधि**
	(क) श्री अरूण कुमार	01.04.2012 से 06.07.2012
	(ख) श्री वीरेन्द्र कुमार	06.07.2012 से 31.03.2013
(iv)	**मुख्य अभियंता**	**अवधि**
	श्री योगेन्द्र प्रसाद सिंह	01.04.2012 से 31.03.2013

3. **लेखा परीक्षा का क्षेत्र**

अंकेक्षण में जाँच किये गये अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– I में तथा अंकेक्षण में उपस्थापित नही किये गये अथवा असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट– II में दी गई है।

4. **आंतरिक लेखापरीक्षा**

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 97 में आंतरिक लेखा परीक्षा का स्पष्ट प्रावधान है तथा बिहार नगरपालिका लेखा नियम, 1928 (नियम 20, 64 एवं 73 (क) इत्यादि) में यह उपबंधित है कि आंतरिक जाँच अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा अन्य जिम्मेवार अधिकारी, जिसे प्राधिकृत किया जाए, के द्वारा किया जायेगा। इस तरह की जाँच की व्यवस्था, उचित नियंत्रण, अभिलेखों के संधारण अथवा किसी भी संभावित वित्तीय अनियमितता को दूर करने हेतु की गई थी।

अभिलेखों की जाँच के क्रम में पाया कि इस तरह की जाँच की व्यवस्था नगर निगम द्वारा नही की गई, जिसके कारण अभिलेखों के संधारण में अनियमितता पायी गई, जिनका उल्लेख कंडिकाओं में दिया गया है।

5. **पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन**

पूर्व के प्रतिवेदनों में की गई टिप्पणियों एवं लेखापरीक्षा के क्रम में की गई आपत्ति पर कंडिकावार अनुपालन समर्पित नहीं किया गया। अनुपालन के अभाव में लेखापरीक्षा का प्रयोजन निष्फल होता है।

अतः, नगर निगम के पदाधिकारियों, सशक्त स्थायी समिति एवं जिला लेखा समिति का ध्यानाकर्षण लेखापरीक्षा में लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु कारगर कदम उठाने की ओर किया जाता है।

6. **लेखा परीक्षा में महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ**

क.सं.	विवरणी	राशि	कंडिका सं0
1	सैरातों की बंदोबस्ती नहीं होने/विभागीय वसूली होने से राजस्व की क्षति	687500	20(ग)
2	अनियमित प्राक्कलन पुनरीक्षण के कारण राजस्व की हानि	1067708	23(क एवं ख)
3	निरर्थक व्यय	1255788	26
4	असमायोजित अग्रिम	84312591	28

7. **अधिदृश्य (आय–व्यय)**

आरा नगर निगम सरकार से प्राप्त अनुदान एवं स्वयं के स्रोत से प्राप्त आय से वित्तपोषित होती है। वर्ष 2011–12 से संबंधित आय–व्यय विवरणी का सार इस प्रकार है:–

प्रारम्भिक शेष	154052523
वर्ष की कुल प्राप्ति	238626764
कुल प्राप्ति राशि	**392679287**
व्यय	
स्थापना	105556905
योजना	92585628
अन्य	19145408
कुल व्यय	**217287941**
अंतशेष	175391346

मदवार विवरणी परिशिष्ट– III पर

8. अंतशेषः

विभिन्न रोकड़ पंजी एवं संबंधित बैंक पास बुक का दिनांक 31.03.2012 तक का अन्तशेष का विश्लेषण निम्न प्रकार हैः–

क्रमा0	*रोकड़बही का नाम*	*रोकड़पंजी के अंतशेष (31.03.2013)*	*पासबुक का अंतशेष (31.03.2013)*	*अन्तर*	*बैंक का नाम/ खाता सं0*
1	2	3	4	5	6
1	लेखापाल रोकड़ बही	40133411	33871383.54 198229435.82	13567408.36	कोषागार पासबुक ऐक्सिस बैंक खाता सं0 91101600521
2	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	15778029	21260257.00	5482228	ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स खाता सं0 12162151007132
3	13वीं वित्त आयोग	25167619	97277548.00	72109929	कोषागार पास बुक 844800102000
4	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	8897287	9059498	162211	यूनियन बैक खाता सं0 393202010005923
5	पथ निर्माण मद	20511505	95096142	74584637	कोषालय पास बुक
7	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	46147589	95096142	48948553	कोषालय पास बुक

विवरणी परिशिष्ट– IV पर

अतः रोकड़बही एवं पासबुक के अंतर को समाधानित कर अगले अंकेक्षण में समर्पित किया जाए।

रोकड बही की त्रुटियॉ–

क. लेखापाल रोकड़बही

➢ रोकड़पाल एवं कोषागार पासबुक+बैंक पास बुक में अन्तर राशि 1.35 करोड़ का पाया गया। लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद समाधानित विवरणी अंकेक्षण में समर्पित नहीं किया गया। अतः इसे समाधानित कर अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

(i) विलोपित

(ii) विलोपित

ख. एस0जे0एस0आर0वाई0

(i) बिहार सरकार, नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक–113, दिनांक 31.10.2012 के अनुसार बी0पी0एल0 परिवार के युवक–युवतियों को विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण देने के लिए पॉच घटकों में व्यय करने के लिए एक मानक निर्धारित किया गया था। परंतु व्यय निर्धारित मानकों के अनुसार नहीं किया गया। विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्र0सं0	घटक	निर्धारित व्यय के लक्ष्य	की गई व्यय की प्रतिशतता
1	एस0टी0ई0पी0	40 प्रतिशत	6.9 प्रतिशत
2	यू0एस0ई0पी0	20 प्रतिशत	8.10 प्रतिशत
3	यू0डब्ल्यू0एस0पी0	20 प्रतिशत	–
4	यू0डब्ल्यू0ई0पी0	10 प्रतिशत	7.25 प्रतिशत
5	यू0सी0डी0एन0	10 प्रतिशत	

लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद प्रशिक्षणकर्ता की सूची एवं प्रशिक्षक के मानदेय से संबंधित आवश्यक दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

(ii) विलोपित

(iii) पूर्व के वर्षों के अंतशेष की राशि को नये वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक शेष में शामिल नहीं किया जाना

पूर्ववर्ती लेखाओं के अंतशेष की राशि 5718103/– को वर्ष 2012–2013 में संधारित रोकड़बही में शामिल नहीं किया गया था। बल्कि प्रारम्भिक शेष "शून्य" दर्शाते हुए पृथक रोकड़बही का संधारण किया गया।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि अलग–अलग बैंक में खाता रहने के कारण सुविधानुसार रखा गया था। आपत्ति के आलोक में पूर्व के संधारित रोकडबही में अन्तशेष की राशि को लेकर वर्तमान वित्तीय वर्ष के प्रारम्भिक शेष में शामिल किया जायेगा।

ग. **विलोपित**

घ. **विलोपित**

ड. (i) **विलोपित**

(ङ) (ii) विलोपित

(ङ) (iii) **बैंक चलान अप्रस्तुत**

योजना कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों के कार्य विपत्रों से की जाने वाली करों की कटौती से संबंधित चालान अंकेक्षण में समर्पित नहीं किया गया। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	चेक सं0/तिथि	राशि	करों के प्रकार	अभ्युक्ति
1	906592/11.8.2012	252904	वैट	
2	906593/11.8.2012	142885	आयकर	
3	906594/11.8.2012	57177	रॉयल्टी	
	कुल	**452966**		

अतः बैंक चलान अगले अंकेक्षण में समर्पित किये जाने तक व्यय की गई राशि लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

(ङ) **(iv) एम0बी0 से अधिक भुगतान राशि 2.47 लाख**

बी0आर0जी0एफ0 मद के रोकड़बही एवं योजना पंजी के मिलान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि संवेदक को प्राक्कलन/एम0बी0 से अधिक भुगतान किया गया था। संकलित ऑकड़ों के अनुसार विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0सं0	*संचिका सं0*	*निविदा आमंत्रण सूचना संख्या*	*प्राक्कलित राशि*	*एम0बी0 की राशि*	*भुगतान विवरणी*	*अधिक भुगतान*
1	9/अभि0 2012–2013	2/अभि0/ 2012–2013	108800	अनु0	499042/15.4.2013 96972 एस0डी0 5573 एस0टी0 5573 आई0टी0 2519 रॉयाल्टी 829 कुल 111466	2666
2	20/अभि0 2012–2013	–तथैव–	340300	289255	499032/30.3..2013 249004 एस0डी0 14359 एस0टी0 14359 आई0टी0 6490 रॉयाल्टी 2962 कुल 582297	241997
3	39/अभि0 2012–2013	–तथैव–	413200	323869	188089/28.2..2013 283167 एस0डी0 16193 एस0टी0 16193 आई0टी0 7319 रॉयाल्टी 2997	2000
					कुल 325869	
	संदेय योग					**246663**

अतः अधिक भुगतान की कुल राशि 246663/– की वसूली जिम्मेदार व्यक्ति/संवेदक से किया जाए।

9. सरकारी अनुदान

लेखापाल रोकड़बही एवं रोकडपाल आवंटन पंजी के अवलोकन से यह ज्ञात हुआ कि वर्ष 2011–12 में आरा नगर निगम को अनुदान मद में राशि 76112597 प्राप्त हुई। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क्र0सं0	मद विवरणी	पत्र क्रमांक एव तिथि	राशि
1	मुद्रांक शुल्क	738 / मु.नि.बिहार / 12.3.2012	5357711.18
2	–तथैव–	1712 / मु.नि.बिहार / 26.6.2012	13126805.72
3	–तथैव–	1713 / मु.नि.बिहार / 26.6.2012	5597576.36
	–तथैव–	2456 / मु.नि.बिहार / 17.10.2012	18842603.00
4	नगर प्रबंधक को मानदेय	43 / मु.नि.बिहार / 19.9.2012	240000.00
5	पार्षदों को मानदेय	26 / मु.नि.बिहार / 20.9.2012	273000.00
6	वेंतन / पेंशन चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	19088618.00
7	असंबद्ध अनुदान चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	10000000.00
8	विद्युत विपत्र चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	6362872.00
9	विकास कार्य चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	6362872.00
10	हाथ से मैला समाप्त करने हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	6615592.00
11	सड़क निर्माण चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	6362872.00
12	जलापूर्ति चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	1984678.00
13	सड़कों पर रोशनी हेतु चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	2205198.00
	लो0स्वा0स्वच्छता चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	88 / न0वि0वि0 / 4.3.2013	1653898.00
14	प्रशासनिक भवन	116 / न0वि0वि0 / 14.3.2013	675000.00
15	पथ निर्माण	108 / न0वि0वि0 / 12.3.2013	9386889.00
16	पशुगणना	630 / न0वि0वि0 / 13.3.2013	223256.00
17	पशुगणना	630 / न0वि0वि0 / 13.3.2013	143552.00
18	बी0आर0जी0एफ0	42 / उप0वि0आ0 / 23.2.2012	13092790.00
19	13वॉ वित्त आयोग	22 एवं 36 / न0वि0वि0 / 31.8.2012	3247000.00
20	13 वॉ वित्त आयोग	01 / न0वि0वि0 / 4.4.2012	6241000.00
21	13वॉ वित्त आयोग	1929 / न0वि0वि0 / 19.7.2012	10189000.00
22	चापाकल मद	32 / न0वि0वि0 / 23.8.2012	5454460.00
	कुल		265723932.54

लेखापरीक्षा आपत्ति

- प्राप्त सरकारी अनुदान मदों का उपयोगिता प्रमाण पत्र. अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिससे व्यय का वास्तविक प्रयोजन एवं समायोजन ज्ञात किया जाना अपेक्षित रहा।
- अनुदान पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

  अतः अनुदान पंजी के संधारण समुचित ढंग सें संधारित किया जाए एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र की वास्तविक स्थिति से सामाजिक प्रक्षेत्र–I बिहार, पटना को अवगत करवाया जाए।

10. वार्षिक लेखा

वर्ष–2012–13 के लिए मद्वार प्राप्तियों एवं व्ययों को दर्शानेवाला वार्षिक लेखा, मासिक, त्रैमासिक आय एवं व्ययों के आँकड़े अंकेक्षण में आवश्यक जाँच हेतु प्रस्तुत नही किये गये। वार्षिक लेखा तैयार नहीं किये जाने के कारणों को स्पष्ट नही किया गया।

अतः वार्षिक लेखा तैयार कर आवश्यक जाँच हेतु अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

11. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 82 के तहत मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वर्ष का बजट तैयार किया जायगा जिसमें विभिन्न लेखा शीर्षों के अधीन प्राप्त और व्यय किये जाने वाले नगरपालिका के आय–व्यय को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा।

उपर्युक्त अधिनियम की धारा 84 के तहत नगरपालिका, बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो, पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी साथ ही नगर निगम के मामले में राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा जिसे वह परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख को नगरपालिका को लौटा देगा।

आरा नगर निगम द्वारा प्रस्तुत बजट के अवलोकन के अनुसार प्राक्कलित आय–व्यय की स्थिति निम्न प्रकार थीः– वर्ष 2012–2013 का अनुमानित आय राशि 295401597/– तथा व्यय राशि 309222755/ अर्थात् 13821158/– घाटे का बजट दिनांक 15.3.2012 की बैठक में पारित किया गया तथा वर्ष 2013–2014 का अनुमानित आय राशि 653739000/– तथा व्यय राशि 816000000/– अर्थात् 162261000/– घाटे का बजट मार्च 2013 का बजट पारित किया गया। वार्षिक वित्तीय विवरणी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाया गया। जिसके कारण मदवार वास्तविक आय–व्यय के ऑकड़ों को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। पी0एल0 लेखा की रोकड़बही के अनुसार वास्तविक आय एवं व्यय के ऑकड़े कमशः राशि 163348476/– एवं 12325065/– थे। उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि बजट के ऑकड़े वास्तविकता से परे था।

12. विलोपित

13. बकाया भवन कर

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा–127 में यह प्रावधान किया गया है कि नगर निकाय राज्य सरकार की स्वीकृति से नगरपालिका क्षेत्र में करों तथा शुल्कों को अधिरोपित करेंगी। लेकिन नगर निगम द्वारा वर्षो से निर्धारित करो का पुनरीक्षण नही किया गया है। लेखा परीक्षा में प्रस्तुत आँकड़ो के अनुसार वर्ष 2012–2013 में "भवन कर" के मांग एवं वसूली की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

कुल बकाया राशि : 29971071.00

हाल का बकाया : 15495059.00

वसूल की गई : 28131401.00

शेष राशि : 17334721.00

अतः भवन कर की उक्त राशि वसुलने के लिए प्रभावी कदम उठाया जाए।

(परिशिष्ट– V)

(183)

क. **विलोपित**

ख. **सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों से बकाया करो की वसूली नही**

मकान कर से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था। अतः मॉग एवं वसूली की सही स्थिति ज्ञात नहीं की जा सकी। नगर निगम द्वारा लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गयी सरकारी/अर्द्ध सरकारी भवनों पर 31.3.2013 तक बकाया करों की स्थिति निम्न प्रकार है:–

कुल मॉग :	20696799.00
प्राप्त की गई कुल राशि	7091863.00
बकाया राशि	**13604936.00**

अतः बकाया करों की कुल राशि **13604936/–** की वसूली कर निगम कोष में जमा करवाया जाए तथा जमा की वास्तविक स्थिति से स्थानीय लेखापरीक्षक, बिहार पटना को साक्ष्यगत दस्तावेज के साथ अवगत करवाया जाए।

(परिशिष्ट– VI)

14 शिक्षा एवं स्वास्थ्य उपकर सरकारी खाते में जमा नही

संबंधित अभिलेखों की नमूना जॉच में यह पाया गया कि वर्ष 2012–2013 की अवधि में स्वास्थ्य एवं शिक्षा उपकर मद की कुल वसूली राशि 2363377.94 की गयी। लेकिन वसूली शुल्क 10 प्रतिशत राशि 236338.00 की कटौती कर शेष राशि 2127040.00 सरकार के संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में जमा नहीं किया गया। विवरणी निम्न प्रकार है:–

स्वास्थ्य उपकर	:	1181688.97
शिक्षा उपकर	:	1181688.97
कुल	:	**2363377.94**
10 प्रतिशत वसूली शुल्क	:	**236338.00**
शेष जमा योग्य राशि	:	**2127040.00**

अतः उपर्युक्त राशि सरकार के संबंधित विभाग के उचित शीर्ष में जमा करते हुए अगले लेखापरीक्षा को समर्पित किया जाए। लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि सरकार से जमा शीर्ष की मांग की गयी है। शीर्ष उपलब्ध होते ही उक्त राशि जमा कर दिया जायेगा।

15. विलोपित

16. राजस्व के स्रोत

करों से संबंधित दैनिक वसूली पंजी एवं रोकड़पाल रोकड़बही के जॉच के दौरान यह ज्ञात हुआ कि कुछ कर संग्राहकों द्वारा वास्तविक जमा से कम जमा किया गया था। अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में अंकेक्षण के दौरान नगर निगम निधि में जमा की गई राजस्व की विवरणी निम्न प्रकार है:–

क. लेखापरीक्षा के दौरान जमा की गयी राशि

क्र.सं0	दिनांक	रसीद सं0	राशि	अभ्युक्ति
1	4.5.2013	16486	350	
2	9.5.2013	16498	300	
3	9.5.2013	16499	1912	
4	9.5.2013	16500	1429	
5	9.5.2013	17101	118	
6	9.5.2013	17103	209	
7	8.5.2013	16497	2880	
8	10.5.2013	17106	200	
9	03.05.2013	16485	100	जमा रसीद अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया।
10	02.05.2013	16482	80	जमा रसीद अंकेक्षण में नहीं दिखाया गया।
	कुल		**7578**	

ख.(i) कम जमा

गृह कर के दैनिक संग्रह पंजी से प्राप्ति रसीद के मिलान के क्रम में यह ज्ञात हुआ कि कर संग्राहक द्वारा प्राप्त कुल राशि में से कम जमा किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है:–

प्राप्ति रसीद सं0	**कम जमा की गई राशि**
4546	243.00
4547	194.00
4548	144.00
4563	52.00
8299	5.00
कुल	638.00

अतः उक्त राशि की वसूली संबंधित कर संग्राहक से किया जाए एवं नगर निगम कोष में जमा की वास्तविक स्थिति से स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा को अवगत करवाया जाए।

(ii) विलोपित

ग. विलोपित

घ. विलोपित

ड. दूकान किराया की वसूली नही होना

नगर निगम आरा द्वारा दुकानों से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण सही तरीके से नहीं किया गया था। निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी मॉग एवं वसूली विवरणी के अनुसार 31.3.2013 तक कुल राशि 2460475/– दुकान किराया बकाया था।

अतः बकाया किराया की वसूली के लिए प्रभावकारी कदम उठाया जाए ताकि नगर निगम कोष में वृद्धि कर स्वय के स्रोत से विकासपरक योजनाओं को कियान्वित किया जा सके।

(परिशिष्ट–ix)

(181)

17. संचार (मोबाईल) टावरों का अपंजीकृत रहना एवं राशि 17.52 लाख का बकाया

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावर एवं संबंधित संरचना पर करो के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली 2012 दिनांक 08.10.2012 के नियम–6 (1) के अनुसार नगर निगम में पंजीकरण शुल्क राशि–50,000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क राशि–15,000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित किया गया है।

नियम 6 (2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित मोबाईल टावर के उपवर्गित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा तथा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो के आधार पर किया जायेगा।

नगर निगम कार्यालय द्वारा उपलब्ध सूचना विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2006–07 से 2011–12 तक 5 कम्पनियों के 31 मोबाईल टावरों के विरूद्ध उक्त अध्यादेश के आलोक में कुल राशि 1752250/– बकाया था जिसका विवरणी निम्नलिखित हैः–

क्रमांक	**कम्पनी का नाम**	**कुल सं.**	**बकाया राशि**
1	आदित्य बिरला टेलिक्स लि0	12	736000.00
2	डिसनेर वायरलेस लि0 एयरटेल	3	231250.00
3	भारती टेल भीजर्स लिमिटेड	3	228750.00
4	टाटा टेलीकॉम सर्विसेज	4	361250.00
5	वायरलेस टी0टी0 इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	9	105000.00
	कुल	**31**	**1752250**

अतः बकाये की कुल राशि 1752250.00 की वसूली संबंधित कम्पनियों से किया जाए एवं वसूली की वास्तविक स्थिति से सामाजिक प्रक्षेत्र–I महालेखाकार लेखापरीक्षा, बिहार, पटना को अवगत करवाया जाए।

(परिशिष्ट– X)

18. संपति ब्यौरा

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की गई सम्पति ब्यौरा निम्न प्रकार है:–

क्रमां0	सम्पति का प्रकार	विवरणी	अभियुक्ति
क	आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सभी मार्केट का ब्यौरा	819	राजस्व की प्राप्ति हो रही है।
ख	आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सिंगही बलिहार ट्रेचिंग ग्राउण्ड मैल गड़हा	6 बिगहा 18 कटठा 2 धुर	इस जमीन के संबंध में राजस्व/अन्य प्रयोजन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह ज्ञात नही किया जा सका कि निगम के कब्जे में है या नहीं अथवा राजस्व की प्राप्ति हो रही है या नहीं।
ग	आरा नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत मीरगंज मुहल्ला स्थित पदाधिकारी आवास का विवरणी	02	
घ	आरा नगर निगम के स्वच्छता शाखा से संबंधित सम्पति एवं सूचना	159	जे0सी0बी0एक्सावेटर, फॉगिंग मशीन सेट एवं सेक्शन मशीन सेट जैसे यांत्रिक वाहनों जिससे राजस्व प्राप्ति की जाती है से संबंधित संचिका अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाया गया।

परिशिष्ट–xi

उपरोक्त से संबंधित दस्तावेजों की आवश्यक जंच हेतु अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

19 दैनिक मजदूरी पर अप्राधिकृत व्यय रूपया 21.19 लाख

बिहार सरकार के पत्र सं0–4 न से 1.1012/87–1231/न.वि.वि.दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी स्थानीय निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगाई गई है।

परन्तु लेखा परीक्षा में उपलब्ध रोकड़बही के अनुसार नगर निगम कटिहार में वर्ष–2012–2013 के दौरान रूपया 2119760/– लाख (प्राप्त आय के 51.16%) दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया जो सरकार के निर्देशो के विरूद्ध एवं अप्राधिकृत था।

अतः दैनिक मजदूरी पर किये गये व्यय की सरकार से मंजूरी ली जाये। सरकार से अनुमोदन प्राप्त होने तक व्यय की राशि रूपया 2119760/– लाख लेखा परीक्षा आपत्ति के अन्तर्गत रखी जाती है।

परिशिष्ट– xii

20 सैरातों की बन्दोबस्ती

क. सैरातों की बंदोबस्ती से संबंधित अभिलेखों की अवलोकन से यह पाया गया कि निम्नलिखित सैरातों की बंदोबस्ती से संबंधित संचिका लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क0सं0	सैरात का नाम	वर्ष 2011–2012 की बंदोबस्ती की राशि	अभ्युक्ति
1	रमणा मैदान स्थित सुलभ शौचालय उत्तरी भाग	267850.00	
2	शिवगंज स्थित रैन बसेरा	70300.00	
3	जगजीवन मार्केट स्थित शुलभ शौचालय	बंदोबस्ती नहीं	सुरक्षित जमा राशि 1823/–
4	समहरणालय स्थित सुलभ शौचालय	तथैव	38354/–
5	मोखतार खाना से सटे पश्चिम सुलभ शौचालय	तथैव	9761/–
	कुल		**49938/–**

उपर्युक्त बन्दोबस्ती संचिका की अनुपलब्धता के कारण इनसे प्राप्त राजस्व एवं इनके जमा को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

ख. विलोपित

ग. बंदोबस्ती राशि की वसूली नहीं

संचिकाओं के नमूना जॉच में यह पाया गया कि वर्ष 2012–2013 की अवधि में बंदोबस्ती की राशि की कुल वसूली नहीं की गयी तथा अवधि समाप्ति के लम्बे अन्तराल के उपरान्त नीलाम वाद दायर किया गया। जिसके कारण राजस्व हानि उठानी पड़ी। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क.सं0	*सैरात का नाम*	*बंदोबस्ती का वर्ष*	*बंदोबस्ती की राशि*	*वसूली की गई राशि*	*कम वसूली*	*अभ्युक्ति*
1	बिहारी मिल टैम्पो स्टैण्ड	2011–2012 श्री गयाप्रसाद	155000/–	77500/–	77500/–	नीलामवाद 24.11.2012
2	स्टेशन के पास टैम्पो स्टेण्ड	2011–2012 श्री गयाप्रसाद	800000/–	76000/–	40000/–	–तथैव–
3	सरदार पटेल मुख्य बस पड़ाव	2011–2012 श्री अरविन्द कुमार चौधरी	2800000/–	2624000/–	176000/–	तथैव
4	बिहारी मिल बस पड़ाव	2011–2012 श्री गयाप्रसाद	788000/–	394000/–	394000/–	तथैव
	कुल				**687500/–**	

वर्ष 2011–2012 की बंदोबस्ती की अवधि दिनांक 31.3.2012 को समाप्त हो चुकी थी लेकिन उक्त अवधि में बंदोबस्तीधारी को सिर्फ बार–बार साधारण सूचना दी गयी, कोई उचित ठोस कार्यवाही नहीं की गयी तथा वर्ष की समाप्ति के लगभग 8 महीने के उपरान्त इन पर नीलामवाद दायर किया गया। इसके फलाफल से अवगत कराया जाय।

घ विलोपित

21 क. विज्ञापन मद में अनियमित व्यय राशि 5.08 लाख

रोकड़ बही के अवलोकन से यह पाया गया कि वर्ष 2012–2013 में विज्ञापनों पर निम्न विवरणी के अनुसार राशि 508255.00 का व्यय किया गया था। विवरणी निम्न प्रकार है:–

क.सं.	अभिश्रव सं0/दिनांक	राशि	विवरणी
1	196 से 202/13.9.2012	70671	सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन
2	203–205/13.9.2012	59267	सारस्वत प्रिंटर प्रा0 लि0
3	206–211/13.9.2012	40984	नेचुरल पब्लिशिंग हाउस लि0
4	212–216/13.9.2012	51115	जागरण प्रकाशन लि0
5	217–222/13.9.2012	127632	हिन्दुस्तान मीडिया बेन्चर्स लि0
6	467–469/13.3.2012	13968	सहारा इण्डिया मास कम्यूनिकेशन
7	470/13.3.2012	33125	नेचुरल पब्लिसिंग हाउस लि0
8	473–475/13.3.2012	62125	–
	कुल	**508255**	

विदित है कि बिहार सरकार सूचना एवं जनसम्पर्क विज्ञापन नीति 2008 विभाग के पत्रांक विज्ञा0 46–10/07–197 दिनांक 14.03.08 के आलोक में विज्ञापन मद पर की जानेवाली व्यय राष्ट्रीय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से करने का प्रावधान है। परंतु आरा नगर निगम द्वारा उक्त निदेश/आदेश के विपरीत प्रत्यक्ष व्यय किया गया था जो अनियमित है। साथ ही उपर्युक्त व्यय के समर्थन में आवश्यकता, मुद्रित सामग्री, समाचार पत्र की प्रति, प्रावधान इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में दिखाया जाए तब तक व्यय की गयी कुल राशि 508255/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

21(ख)(i) गैर सरकारी संगठन द्वारा कार्य का निष्पादन

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा से प्राप्त राशि से वर्ष 2012–13 में गैर सरकारी संगठन रैमकी इनभैरो इन्जिनियर्स लि0, कैम्प–आरा को निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया था–

क.सं.	चेक सं0/दिनांक	राशि	अभियुक्ति
1	984664/31.08.12	800000	12/11 एवं 1/12 (75% का भुगतान)
2	984689/06.10.12	1465820	12/11 एवं 3/12 (25% का भुगतान)
3	631818/27.11.12	2070393	04/12 एवं 6/12 (25% का भुगतान)
4	631831/22.12.12	2500000	07/12 एवं 10/12 (25% का भुगतान)
5	631856/31.01.13	1481045	10/12 एवं 12/12 (25% का भुगतान)
6	038093/27.04.12	3548178	12/11 एवं 1/12 (75% का भुगतान)
7	038094/03.11.12	9196280	2/12 एवं 6/12 (75% का भुगतान)
8	038096/15.01.13	7417765	7/12 एवं 10/12 (25% का भुगतान)
9	631896/30.03.13	1339012	1/13 एवं 2/13 (25% का भुगतान)
	कुल	**29818493**	

लेखापरीक्षा आपत्ति के बावजूद नगर निगम एकरारनामा एवं उक्त व्यय से संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण दल को उपलब्ध नहीं करवाया गया। अतः व्यय की गई कुल राशि 29818493 लेखापरीक्षा आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

ख. "होर्डिग मद" में विलम्ब से बंदोबस्ती के कारण राजस्व की हानि राशि 2.63 लाख

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत होर्डिग्स संचिका के अवलोकन के दौरान निम्न मामले प्रकाश में आये :–

- बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 146 के अनुसार विज्ञापन मद में साईट के उपयोग के लिए लाइसेंस जारी करने का प्रावधान किया गया हैं। इस प्रावधान के अनुसार नगर निगम द्वारा दर निर्धारण निम्न प्रकार से किया गया था :–
- सामान्य विज्ञापन : 6रुपये प्रति वर्गमीटर
- चलत वाहन पर प्रचार : 1. चार पहिया वाहन : 20/–
  - रिक्शा/टैम्पू : 10/–
  - वैनर : 5/–
  - तोरण द्वार : 250/– प्रति सप्ताह
  - वैनर : 5/ प्रति वर्गफीट

प्राधिकार सशक्त बोर्ड की बैठक दिनांक 27.4.2008 के प्रस्ताव सं05 के अनुसार

- नगर में सामान्य विज्ञापन एवं चलत वाहन के लिए अनुमानित सं0/वास्तविक संख्या का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। जिससे होर्डिग के लिए प्राप्त होनेवाली राजस्व की पारदर्शिता ज्ञात नहीं किया जा सका।
- कार्यालय ज्ञापांक–2671 दिनांक 26.11.2010 द्वारा आमंत्रित निविदा के आलोक में 5 व्यक्तियों द्वारा प्राप्त 3 वर्षों की बंदोबस्ती हेतु दिनांक 11.12.2010 को निविदा आमंत्रण पर खोला गया था। तुलनात्मक विवरणी के आधार पर श्री अवधेश कुमार चौरसिया आरा द्वारा अधिकतम दर राशि 351101/– थी को स्वीकृति देने की अनुशंसा सशक्त बोर्ड द्वारा दी गयी थी। जिसे इस आधार पर कार्यालय द्वारा रद्द कर दिया गया कि पेशागत रूप से विज्ञापन से नहीं जुड़े है। एवं विज्ञापन एजेन्सी होने का कागजात/निबंधन पत्र जमा नहीं किया गया था।
- वेस्ट एडवरटाईजिंग एजेन्सी को वार्षिक राशि 351101/– की दर से दिनांक 1.1.2011 से 31.12.2012 तक आवंटित किया गया जिसे 6 बराबर किश्तों में जमा किया जाना निर्धारित किया गया। पुनः दिनांक 1.1.2012 से 30.6.2012 अर्थात् तृतीय किश्त की राशि 175000/– डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा हेतु भेजा गया।
- स्थायी सशक्त समिति की बैठक दिनांक 10.12.2011 की बैठक में पुनः निर्णय लिया गया कि इस प्रयोजन हेतु अधिक राजस्व की प्राप्ति को ध्यान में रखते हुए पुनः निविदा आमंत्रित किया गया। निविदा आमंत्रण किये जाने का आदेश देते हुए वेस्ट एडवरटाईजिंग एजेन्सी को ड्राफ्ट वापस किये जाने का आदेश दिनांक 30.1.2012 को दिया गया।
- निगम के इस फैसले/निर्णय को वेस्ट एडवरटाईजिंग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में रिट याचिका सं0 2541/2012 के द्वारा चुनौती दी गई जिसे दिनांक 3.9.2012 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया।
- ज्ञापांक–3944/5.9.2012 के द्वारा एक वर्ष अर्थात् 1.10.2012 से 30.9.2012 तक की अवधि के लिये दिनांक 5.9.2012 को मुहरबंद निविदा मांग की गयी जिसे दिनांक 26.7.2012 को खोला गया तथा दो

प्राप्त निविदा में अधिकतम दर पर मेसर्स रामपूजन शर्मा एजुकेशनल सोसाईट, आरा को राशि 562000/– की स्वीकृति दी गयी।

लेखापरीक्षा आपत्ति

- वेस्ट एडवरटाईजिंग एजेन्सी अथवा मेसर्स शिव पूजन शर्मा के साथ किया गया एकरारनामा अंकेक्षण आपत्ति के बावजूद समर्पित नहीं किया गया।
- शहर मे पोल/क्योस्क/बैनर/तोरण द्वारों की संख्या नहीं दर्शाया गया था। विज्ञापन के लिए बंदोबस्ती निर्धारण में राशि का मान्दण्ड किस प्रकार तैयार किया गया। इसका कोई उल्लेख/साक्ष्य समर्पित नहीं किया गया।
- दिनांक 1.1.2012 से 1.9.2012 तक की अवधि में वेस्ट एडवरटाईजिंग एजेन्सी से पूर्व एकरारनामा के अनुसार न तो राशि प्राप्त किया गया और न ही प्रशासनिक एवं सशक्त स्थायी समिति द्वारा कोई वैकल्पिक व्यवस्था किया गया था। जिसके कारण नगर निगम को 9 माह में प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित रखा गया। जिसके कारण राजस्व की हानि हुई। विवरणी निम्न प्रकार है:–

  351101 x 9/12 = 263326/–

  लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि सी0डब्ल्यू0जे0सी0सं02541/2012 में दिनांक 5.4.2012 को पारित आदेश के आलोक में निविदा का प्रकाशन नहीं किया गया था। दिनांक 3.9.2012 को पारित आदेश के अनुपालन में निविदा का प्रकाशन किया गया एवं बंदोबस्ती की प्रकिया पूर्ण की गयी है।

  अनुपालन मान्य नहीं है क्योंकि उक्त अवधि में प्राप्त होनेवाले राजस्व के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया थां। अतः राशि 263326/– की वसूली जिम्मेदार प्राधिकारी/सहायक से किया जाए।

ग. वाद व्यय

वर्ष 2012–2013 की अवधि में वादों पर कुल राशि 157910.00 का व्यय किया गया विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट xiii पर दिया गया है।

उपर्युक्त व्यय के समर्थन में वाद पंजी जिनमें पूर्व के लंबित वादों की संख्या लेखापरीक्षा अवधि में दायर वादों/परिवादों की संख्या निष्पादित वादों की संख्या, प्रतिवाद व्यय की स्थिति, अधिवक्ताओं का पैनल, नियुक्ति, शर्तें इत्यादि प्रविष्ट कर लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाए। इसकी उपलब्धता तक व्यय की गयी कुल राशि 157910.00 आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

जवाब दिया गया कि वांछित अभिलेख एवं कागजातों को दिखा दिया गया है जो सत्य नहीं है।

घ. भाडे पर वाहन/जेनरेटर

अभिलेखों के नमूना अवलोकन से यह पाया गया कि वर्ष 2012–2013 में नियमित रूप से वाहन एवं जेनरेटर के भाड़े का भुगतान किया जो राशि 384990/– था। विस्तृत विवरणी प्रतिवेदन के परिशिष्ट xiv पर दिया गया है।

उपर्युक्त भुगतान के समर्थन में आवश्यक सक्षम स्वीकृति/प्रावधान, उपयोगिता, निधि की उपलब्धता, लॉग–बुक इत्यादि उपलब्ध नहीं कराया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया जाए इनकी उपलब्धता तक व्यय की गयी कुल राशि 384990/– आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

जवाब दिया गया कि उक्त भुगतान बोर्ड के अनुमोदन के आलोक में किया गया हैं जबाब संतोषजनक नहीं है।

22. विलोपित

23. अनियमित प्राक्कलन के पुनरीक्षण के कारण राजस्व की हानि राशि

लेखापरीक्षा में समर्पित विभिन्न मदों के अंतर्गत कियान्वित योजनाओं की संचिका के अवलोकन के अनुसार अनियमित प्राक्कलन की स्थिति निम्न प्रकार हैः–

क0सं0	मद	निविदा आमंत्रण सूचना संख्या	प्राक्कलित राशि	पुनरीक्षित प्राक्कलन की राशि	अन्तर	भुगतान की गई राशि	संवेदक	अभ्युक्ति
1	रैन बसेरा	10/अभि0/2011 ग्रुप सं0–01	1102000 800 वर्गफीट के लिए	2313200 1200 वर्गफीट के लिए		2053297	श्री राजीव रंजन एवं संजय कुमार रामगढिया, आरा	कार्यावंटन : 24.1.2012 कार्य पूर्णता की निर्धारित अवधि : 3 माह पूर्णता की तिथि : 28.1. 2013
2	पोखर घाट	एन0आइ0टी0 सं04 ग्रूप सं0 2012–2013	1768600	248600		2725908	श्रीमती बैजन्ती देवी सिंह कॉलोनी पकडी, आरा	कार्यादेश की तिथि 31.10. 2012 निर्धारित अवधि : 3 माह पूर्णता की तिथि 31.1. 2013

लेखापरीक्षा आपत्ति

लेखापरीक्षा में समर्पित योजना संचिका के अवलोकन के अनुसार निम्न मामले प्रकाश में आयेः–

(क) रैन बसेरा

- प्राक्कलन के पुनरीक्षण के लिए किसी भी प्रकार के प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति से संबंधित दस्तावेज नहीं पाया गया।
- **तकनीकी अनियमितताएँ**

  प्राक्कलन के अनुसार 800 वर्गफीट के लिए राशि 1102000/– निर्धारित किया गया था। जबकि 1200 वर्गफीट के लिए राशि 2313200/– अर्थात् पूर्व प्राक्कलन के दुगुना से अधिक निर्धारित किया गया। जबकि सदर अस्पताल आरा के पत्रांक–408 दिनांक 19.4.2012 के आलोक में यह बताया गया कि

इंजीनियर द्वारा कहा गया कि एक हॉल एक स्टोर रूम और बरामदा का प्रावधान है। सदर अस्पताल के निचली एवं उपरी तल में एक हॉल दो लैट्रीन एवं दो रूम तथा एक पानी टंकी की आवश्यकता है।

उक्त आवेदन के आधार पर केवल प्राक्कलन का पुनरीक्षण तकनीकी तौर पर किया गया, प्रशासनिक एवं सशक्त बोर्ड का कोई भी अभ्यावेदन नहीं पाया गया। इस प्रकार से प्राक्कलन के पुनरीक्षण की बढ़ोतरी राशि 1211200/– अनियमित प्रतीत होती है।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि प्राक्कलन को पुनरीक्षण करवाकर अनुमोदित करवा लिया जाएगा। अनुपालन तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है क्योकि प्राक्कलन पुनरीक्षण करवाने के लिए प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रक्रिया उच्च प्राधिकारी से करवाने के बाद ही व्यय किया जाना चाहिए था। परंतु ऐसा नहीं करवाया गया। अतः अनियमित प्राक्कलन के पुनरीक्षण की राशि 1211200/– लेखापरीक्षा आपत्ति के अंतर्गत रखी जाती है।

- **संवेदक द्वारा को कार्य निर्धारित समय से विलम्ब से पूरा करने के कारण शास्ति की राशि 1.10 लाख**

निविदा आमंत्रण सूचना सं010/अभि/2011/ग्रुप सं01 कार्यावंटन के ज्ञापांक–668/अभि0 आरा दिनांक 24.1.2012 के द्वारा संवेदक श्री संजय कुमार जैन कॉलेज, पूर्वीगेट, आरा को दिनांक 21.5.2012 को एकरारनामा पर हस्ताक्षर करवाते हुए कार्य समापन की तिथि 3 माह निर्धारित किया गया था। परन्तु कृत कार्य के मूल्यांकन के अनुसार, संवेदक द्वारा दिनांक 28.1.2013 को समाप्त किया गया था।

अतः लोक निर्माण विभाग फॉर्म नं0 एफ.2 सीड्यूल–14 फॉर्म नं0 61 के आलोक में संवेदक की सेवा शर्तें कलॉउज–2 के अनुसार कार्य को विलम्ब से करने की स्थिति में संवेदक से प्राक्कलन के 10 प्रतिशत शास्ति वसूलने का प्रावधान है। इस प्रकार राशि 231320/– संबंधित संवेदक/जिम्मेदार व्यक्ति से वसूल किया जाए।

(ख) पोखर घाट

- अभिलेखों के जॉचोपरान्त यह पाया गया कि वार्ड सं0 14 के अन्तर्गत चॉदना सूर्य मन्दिर घाट के निर्माण के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि किस आधार पर तैयार किया यह स्पष्ट नहीं किया गया।
- कार्यावधि में कार्य आरंभ, कार्य के मध्य एवं कार्य के समाप्ति पर फोटो लेने का प्रावधान था। अभिलेख में यह उपलब्ध नहीं पाया गया।
- भुगतान का सार/विपत्र के नोटिंग पीले कागज पर करवाया जाता है जो कि उपलब्ध नहीं था।
- पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गयी थी।
- सशक्त स्थायी समिति से निविदा आमंत्रण के बाद प्राक्कलन पुनरीक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था।
- पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति उच्च प्राधिकारी से लिया जाना चाहिए था। परंतु ऐसा नहीं किया गया।

- खर्च की राशि एम0बी0 के अनुसार राशि 2725908/– पुनरीक्षित प्राक्कलित राशि से कहीं अधिक है। पर बिल सक्षम प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के लिए प्राक्कलित राशि 1768600/– से अधिक खर्च करना मान्य नहीं है।

  अतः, अन्तर की राशि 1768600–2725908 : 957508/– की वसूली जिम्मेदार व्यक्ति से किया जाए।

24. सामग्री का कय

नगर निगम द्वारा कार्यालय हेतु आवश्यक सामग्री कय से संबंधित समर्पित संचिका के अवलोकन के अनुसार निम्न मामले प्रकाश में आया :–

क0सं0	मद	सामग्री के नाम	सामग्री की संख्या	भुगतान की गई राशि	अभ्युक्ति
1	13वॉ वित्त आयोग	फॉगिंग मशीन	1	412925	दिनांक 10.12.2011 की सशक्त स्थायी समिति द्वारा डुमरॉव नगर परिषद द्वारा निविदा/दरों के अनुसार फॉगिंग मशीन का कय किया गया था
2	13 वॉ वित्त आयोग	1. हाथगाड़ी 2. लोहे का हाथ गाड़ी 3.बेलचा पी0भी0सी0 4. पंजा बड़ा 12 गेज चदरा में 5. बकुआ 12 गेज चदरा में 6. झाड़ू	100 100 100 50+10 10	1165500	दिनांक 12.7.2012 को निविदा संख्या 01/2012 हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से निविदा आमंत्रित करने के बाद पूजा ईन्जिनियरिंग दिल्ली एवं कृषि यंत्र केन्द्र पटना से आपूर्ति करवाया गया
	कुल			**1578425**	

लेखापरीक्षा आपत्ति

- विदित है कि बिहार वित्तीय नियमावली 1931 के अनुसार राशि 15000 से अधिक के सामान खरीदने पर कय समिति का गठन करने का प्रावधान है। परंतु आरा नगर निगम द्वारा सामान कय के लिए कय समिति का गठन नहीं किया गया। जिससे यह ज्ञात किया जाना अपेक्षित रहा कि सामान कय में वित्तीय औचित्यतता को ध्यान में रखकर किया गया अथवा नहीं।
- गुणवत्ता जॉच प्रमाण पत्र, कार्य क्षमता, कार्यरत स्थिति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित नहीं किया गया। इसे अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाय।

25. 13वें वित्त के अन्तर्गत स्थापित "भेपर लाईट" मद में अनियमितताएँ

विज्ञापन सं07/2012 दिनांक 1.11.2012 द्वारा शहर के चौक चौराहों पर एवं वार्डों में प्रकाश की व्यवस्था हेतु निविदा आमंत्रित की गयी जो भेपर लाईट से संबंधित थी। प्राप्त चार निविदाओं की तुलनात्मक विवरण के अनुसार बजाज कम्पनी का लाईट 150 वॉट चौक तार'बल्ब एवं स्विच आदी कि न्यूनतम दर 5550/– से 550 अदद सोडियम वेपर लाईट की आपूर्ति का आदेश ज्ञापांक–4793 दिनांक 28.12.2012 द्वारा एस0आर0

इन्टरप्रांईजेज कंकड़बाग, पटना को निर्गत किया गया जिसके अनुसार वारंटी की अवधि छः माह निर्धारित किया गया।

आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि 4463850/–

- आपूर्तिकता द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया कि कुल 420 अदद लाईट लगा दिया गया जबकि वार्ड पार्षदों द्वारा यह प्रमाण पत्र दिया गया कि अलग–अलग वार्डों में कुल 335 लाईट लगा दिया गया है।
- भंडार पाल द्वारा दिनांक 26.1.2013 एवं 15.2.2103 को कमशः 217 पेटी सामग्री प्राप्त किया गया।
- दिनांक 8.3.2013 को आपूर्तिकर्ता को यह पत्र दिया गया कि आपके द्वारा वेपर लाईट निजी मकान पर लगाया जा रहा है तथा ठेला भाडा राशि 150/– की मांग की जा रही है। साथ ही यह भी निर्देश दिया गया कि निजी भवनों पर लगाये गये लाईटों को उतार लिया जाए एवं सार्वजनिक स्थल पर इन्हें लगाया जाए तथा आपके द्वारा आपूर्ति की गयी लाइटों की जॉच जबतक नहीं कर ली जाती तब तक लाईट का स्थापना स्थगित रखा जाए। पत्रांक 546 दिनांक 13.3.2013 के द्वारा मुख्य नगर अभियंता को कनीय अभियंता के माध्यम से शिकायतों की जॉच कर तीन दिन के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा दिनांक 14.3.2013 को स्पष्टीकरण दिया गया कि वार्ड पार्षदों की अनुशंसा पर लाईट अधिष्ठापन का कार्य किया गया तथा कनीय अभियंता की अनुशंसा के उपरांत ही भुगतान किया जाता रहा है।
- कनीय अभियंताओं द्वारा दिनांक 16.3.2013 को प्रतिवेदित किया गया कि कुल 9 स्थानों पर निजी मकान पर लाईट लगाया गया है। क्योंकि वहॉ विद्युत फेज उपलब्ध नहीं हैं। श्री सुदर्शन प्रसाद सिंह कनीय अभियंता द्वारा दिनांक 18.4.2013 को यह प्रतिवेदित किया गया कि सिविल अभियंता के नाते इलेक्ट्रीक सामग्री की वास्तविकता की जॉच नहीं की जा सकती सिर्फ भौतिक सत्यापन किया जा सकता है तथा कुछ वार्डों की जनता का यह कहना है कि लगाया गया लाईट वास्तविक नहीं हैं इस आशय की सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु समर्पित किया गया।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

- वार्ड पार्षदों द्वारा सुचारू रूप से लाईट लगाये जाने को प्रमाणित किया गया लेकिन सुचारू रूप से लाईट कार्य करने से संबंधित प्रमाण पत्र नहीं दिया गया।
- तकनीकी पदाधिकारी से गुणवत्ता जॉच प्रमाण पत्र संलग्न नहीं पाया गया।
- निर्धारित मानकों के अनुरूप सामग्री की आपूर्ति की गयी अथवा नहीं प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया गया।
- निविदा की दर 5550/– प्रस्तावित एवं स्वीकृति के विरूद्ध आपूर्तिकर्ता द्वारा राशि 6110 प्रति की दर से भुगतान किया गया जो निर्धारित दर से 560 रू0 प्रति अद्द अधिक था। इस प्रकार कुल 420 सोलर लाइटों पर (520 X 420) अर्थात 2,35,200/– का अधिक भुगतान किया गया।

(17)

- वार्ड पार्षदों द्वारा प्रमाण पत्र के आधार पर 335 लाईट का अधिष्ठापन किया गया जबकि आपूर्ति 420 किया गया। भंडार पाल द्वारा 346 अदद की प्राप्ति की प्रमाण पत्र दिया गया। उपर्युक्त तीन आंकड़ों के अन्तर का कारण स्पष्ट नहीं था।

उपर्युक्त बिन्दुओं के संबंध में बताया गया कि कुल 500 अदद लाईट की आपूर्ति प्राप्त की जा चुकी है। वर्ष 2012 में 420 अदद का भुगतान किया गया हैं शेष का विपत्र आनें पर भुगतान की कार्यवाई की जाएगी। लाईट लगाने की प्रकिया अभी चल रही है। जबाव मान्य नहीं है, क्योंकि निविदा के आलोक में भुगतान नहीं किया गया था। अतः अधिक भुगतान की राशि (520 X 420) 235200 की वसूली किया जाए।

26. प्रशासनिक भवन

निरर्थक व्यय राशि 12.56 लाख

नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी भवन निर्माण मद में राशि 3175000/– का आवंटन किया गया।

इस संबंध में दिनांक 26.8.2008 के सशक्त स्थायी समिति की बैठक के प्रस्ताव सं06 में इसकी प्रशासनिक स्वीकृति देते हुए जे0के0आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करने का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके आलोक में दिनांक 18.9.2008 को संबंधित एजेन्सी की डी0पी0आर0 तैयार कर एक सप्ताह के अन्दर समर्पित करने का निर्देश दिया गया। इसका प्राक्कलन मुख्य नगर अभियंता द्वारा दिनांक 21.10.2008 को राशि 3023794/– का प्रस्तुत किया गया। जे0के आर्किटेक्ट द्वारा तैयार नक्शे की स्वीकृति दिनांक 24.9.2008 की बैठक में दिया गया तथा दिनांक 22.10.2008 को उक्त राशि को प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी। इसके आलोक में निविदा सूचना सं0 34/20087 दिनांक 11.11.2008 के माध्यम से आमंत्रित की गयी निविदा की राशि 29.72 लाख के विरूद्ध दो निविदाये में0 जय बजरंग कंस्ट्रक्शन एवं श्री भीम सिंह द्वारा प्राप्त हुआ जो प्राक्कलित राशि से क्रमशः 9 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत अधिक था। वार्तालाप के आधारपर 7 प्रतिशत अधिक दर पर मे0 जय बजरंग कन्स्ट्रकशन को स्वीकृति दी गयी। दिनांक 17.5.2009 को दोनों पक्षों के बीच एकरारनामा किया गया जिसकी राशि 3180040/– थी तथा कार्य समाप्ति की अवधि छः माह निर्धारित किया गया तथा कार्यादेश निर्गत किया गया। दिनांक 18.5.2010 को पत्र के माध्यम से संवेदक को कार्य पूर्ण नहीं किये जाने का कारण पूछा गया। इसके जवाब में संवेदक द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि उन्हें प्राक्कलन की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी, ना ही कोई मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। एकरारनामा में कैरेज का प्रावधान नहीं किया गया है। स्टोन का दर बाजार भाव से काफी कम है। इन कारणों से कार्य निष्पादन में कठिनाई हो रही है। मुख्य नगर अभियंता द्वारा दिनांक 7.8.2010 को कार्य शीघ्र पूर्ण करने को स्मारित किया गया। दिनांक 25.10.2010 को मुख्य अभियंता सह टाउन प्लानर नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना को तकनीकी मंतव्य उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। मुख्य अभियंता द्वारा दिनांक 2.12.2010 को तकनीकी गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों का अन्वेषण कराकर नमूना संग्रहित करने एवं सरकारी प्रयोगशाला में जॉच कराकर प्रतिफल की मांग की गयी।

नगर आयुक्त द्वारा दिनांक 24.12.2010 द्वारा कार्यपालक अभियंता, पी0डब्ल्यू0डी0 एवं कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण प्रमण्डल से तकनीकी मंतव्य देने का अनुरोध किया गया।

दिनांक 26.4.2011 को संवेदक द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि कार्य में जो भी फेर–बदल हुआ है। वह निगम के तकनीकी पदाधिकारी के निर्देश पर किया गया। अपनी इच्छा से मैंने एकरारनामा से हटकर कार्य नहीं किया। भवन का डिजाइन मुझे नहीं बतलाया गया। कार्य का समय–समय पर संतुष्ट होकर भुगतान किया गया। निगम के प्राधिकारियों द्वारा कार्य कराने में रूचि नही ली गयी। सभी सामग्रियों का मूल्य बढ चुका है तथा पुराने दर पर संवेदक द्वारा कार्य करने से इंकार करते हुए एकरारनामा रद्द कर कार्य बन्द कि जाने की सूचना दी गयी।

पत्रांक–7876 दिनांक 5.5.2011 के माध्यम से प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग के तकनीकी मंतव्य हेतु अभियंताओं की टीम भेजने का अनुरोध किया गया। दिनांक 3.11.2012 को संवेदक द्वारा अग्रधन एवं सुरक्षित जमा राशि वापस करने का अनुरोध किया गया इस मद में कुल भुगतान राशि 1255788/– किया गया।

टिप्पणी पृष्ठ संख्या–5 के अनुसार ग्राउण्ड फलोर का निरीक्षण के अनुसार कॉलम की संख्या कम है बीम का डेप्थ कम हैं। चूकि बिल्डिंग प्लाण्ड स्ट्रक्चर है अतएव साईड के चारो तरफ बीम नहीं दिया गया है। अतः भवन कमजोर एवं असुरक्षित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त टिप्पणी के आलोक में मुख्य नगर अभियन्ता 5.10.2010 तक प्रतिवेदन की मांग के आलोक में 12/16–17 के अनुसार आर्किटेक्ट द्वारा उपलब्ध प्राक्कलन पर निगम के तकनीकी पदाधिकारी का हस्ताक्षर नही है। फिर भी कुछ बिन्दुएँ स्पष्ट होती हैः–

- भवन फ्रेम्ड स्ट्रक्चर के कॉनसेप्ट पर डीजाईन किया गया है
- फ्रेम्ड स्टक्चर के तहत चारों तरफ बीम प्रोभाईड किया गया है जिसका थिकनेस 12 फीट होगा जो नहीं किया गया।
- कॉलम के उपर बीम दर्शाया गया है जिसका थिकनेस 18 फीट होना था परन्तु 12 फीट दी गयी है।
- इस प्रकार भवन सुरक्षित के होने पर संदेह व्यक्त किया गया तथा इस संबंध में बिल्डिंग डिजाईन सर्किल के अभियंता अथवा विभाग के अभियंता प्रमुख से मंतव्य की अनुशंसा की गयी। पृष्ठ 18 पर राशि 1249788/– व्यय की राशि के दुर्विनियोग की संभावना व्यक्त करते हुए मुख्य अभियंता नगर विकास एवं आवास विभाग से मंतव्य की मांग की गयी। टिप्पणी 19 के अनुसार संचिका में विस्तृत प्राक्कलन एवं अनुमोदित नक्शा नहीं संलग्न रहने के कारण आरोप तय करना मुश्किल बतलाया गया। पृष्ठ संख्या 20 पर यह पृच्छा की गयी कि सेंक्शन डिटेल प्राक्कलन एवं एप्रूव्ड ड्रेनिंग के बगैर कार्य प्रारम्भ करना एवं भुगतान किया जाना आरोप नहीं है। बिंदुवार आरोप की सूची की मांग की गयी तथा इसकी जॉच हेतु प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग को पत्र देने की स्वीकृति दी गयी। निगम के मुख्य अभियंता एवं दो कनीय अभियंता श्री बच्चा पाण्डेय जिला परिषद एवं श्री सत्यानंद सिंह नगर निगम को दोषी ठहराते हुए इन पर विभागीय कार्रवाई/प्राथमिक हेतु प्रधान सचिव नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार को पत्र देने की स्वीकृति दी गयी।

लेखापरीक्षा टिप्पणी

निम्नलिखित बिन्दुओं पर नगर निगम से स्पष्टीकरण की मॉग की गई–

- यदि स्वीकृत नक्शा एवं प्राक्कलन उपलब्ध नहीं था तो फिर कार्य किस मानक एवं सेप में कराया गया।
- कार्यालय परिसर में ही भवन निर्माण किया जा रहा था फिर निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य किया जा रहा था अथवा नहीं हर स्तर पर इसका पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण क्यों नहीं किया गया।
- यदि निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य नि:मादन नहीं किया जा रहा था तो पूर्व में इस पर आपत्ति अथवा प्राधिकारी को प्रतिवेदन क्यों नहीं दिया गया।
- निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य नहीं था तो भुगतान की अनुशंसा एवं भुगतान किस आधार पर किया गया।
- परंतु निगम द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया अतः योजना पर राशि 12.56 लाख के व्यय के उपरान्त योजना को अपूर्णवस्था में परिष्कृत/छोड़ दी गयी एवं इन पर किया गया व्यय निरर्थक साबित हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में बताया गया कि कुछ तकनीकी कारणों से कार्य बन्द हैं। भविष्य में कार्य का विस्तार किया जायेगा। जबाव संतोषजनक नहीं है।

27(i) रॉयल्टी मद में कम कटौती करने के कारण अभिकर्त्ता/संवदेक को अधिक भुगतान राशि ₹80411

लेखापरीक्षा में प्रस्तुत विभिन्न मदों के अंतर्गत क्रियान्वित योजनाओं की संचिकाओं के नमूना जॉच के अनुसार यह मामला प्रकाश में आया कि योजना कार्य में व्यवहृत लघु खनिजों के कार्य विपत्रों से "रॉयल्टी मद" में निर्धारित मानक से कम कटौती किया गया था। जिसके कारण संवेदक/अभिकर्त्ता को अनियमित रूप से राशि 80411 का लाभ पहुँचाया गया एवं सरकार को संबंधित "राजस्व शीर्ष" में हानि पहुँचायी गयी। (विवरणी परिशिष्ट– **xv** पर है)

अतः राशि 80411 की वसूली संबंधित जिम्मेदार व्यक्ति से किया जाए।

27(ii) <u>योजनाओं की भौतिक स्थितिः–</u>

आरा नगर निगम के अन्तर्गत कियान्वित योजनाओं के प्रस्तुत ऑकड़ों के अनुसार मदवार विवरणी निम्न प्रकार हैः–

क्रमां0	मद का नाम	कुल योजनाओं की संख्या	पूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं की संख्या	अपूर्ण योजनाओं में अग्रिम की राशि
1	चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	54	13	41	ऑकड़ा अनुपलब्ध
2	बी0आर0जी0एफ0	50	39	11	ऑकड़ा अनुपलब्ध
	कुल	**104**	**52**	**52**	

(विवरणी परिशिष्ट– xvi)

प्रस्तुत योजना विवरणी के अनुसार उक्त दोनों मदों के अंतर्गत 104 योजनाओं का कियान्वयन किया गया था। जिसमें 52 योजनाओं की भौतिक स्थिति पूर्ण है। शेष योजनाओं की भौतिक स्थिति नहीं दर्शाया गया है।

28. **अग्रिमः–**

अग्रिम पंजी का विहित संधारण नहीं किया गया। पूर्व के बकाया अग्रिमों की राशि को अद्यतन कर अग्रेनित नहीं किया गया। अग्रिम पंजी की प्रविष्टियों के अनुसार दिनांक 31.3.2013 तक बकाया अग्रिम की स्थिति निम्न प्रकार थीः–

क्र.सं.	नाम एवं पदनाम	राशि	अभ्युक्ति
1	श्री भगवान प्रसाद लेखापाल	94086	पृष्ठ सं./129
2	श्री राकेश कुमार जमादार	4000	"/151
3	श्री बशीअहमद, दफतरी	5000	"/152
4	श्री अनराजो देवी वार्ड नं0 19	5000	"/158
5	श्री अशोक कुमार सिंह सहायक	12868	"/162
6	श्री कैलाश पाण्डेय वार्ड जमादार	2910	"/163
7	श्री सुरेश प्रसाद सिंह सहायक	1243137	"/164
8	श्री चन्द्रमा यादव वार्ड जमादार	175906	"/166
9	श्री अमरनाथ प्रसाद सहायक	121497	"/167
10	श्री रामाकान्त सिंह सहायक	375471	"/168
11	श्री कृष्ण कुमार सिंह कायर्ट असेसर	229621	"/169
12	श्री जयनारायण सिंह	11865	"/170
13	श्री लगड़ा राम	8286	"/128
14	श्री ददन सिंह	3537	"/125
15	श्री कुशराम	1000	"/100
16	श्री ललन राम मोहर कुली	3450	"/98
17	श्री तनवीर आलम विधि लिपिक	70699	"/69
18	श्री अमरनाथ प्रसाद स्थापना लिपिक	11650	"/68
19	श्री सुरेश सिंह चालक	19000	"/59
20	श्री सुरेश राम ड्रेन कुली	5076	"/55
22	श्रीमती चैती देवी झाड़ूदार	1500	"/20
23	श्री रामेश्वरनाथ चौधरी वार्ड जमादार	1500	"/18
24	श्री भूवरराम नालाकूली	1500	"/17
25	श्रीमती परबतिया देवी झाड़ूदार	1500	"/16
26	श्री अर्जूनराम नालाकुली	1500	"/15
27	श्री श्यामा देवी झाड़ूदार	1500	"/13
28	श्रीमति राधिका देवी झाड़ूदार	1500	"/10
29	श्रीमति शान्ति देवी झाड़ूदार	1500	"/9
30	श्री देवशरणराम नाला कुली	1500	"/8
31	श्री शम्भूराम नाला कुली	1500	"/7
32	श्री इन्द्रीय प्रसाद चौकीदार	12200	"/6
	कुल	**84312591**	

अतः, अग्रिम पंजी का विहित प्रपत्र में संधारण करते हुए उपर्युक्त अग्रिमों का समायोजन/वसूली हेतु प्रभावी कदम उठाये जाय।

(167)

29. **कार्यपालक पदाधिकारी से वार्ता**

लेखापरीक्षा में उठाई गई आपत्तियों के संबंध में समय–समय पर चर्चा की गई तथा लेखापरीक्षा कार्य के समापन तिथि को फाइनल वार्तालाप की गयी।

30. **अंकेक्षण का परिणामः–**

(क) लेखा परीक्षा के दौरान जमा कराई गई राशि– ₹7578

(ख) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गई राशि– ₹34653574

(ग) वसूली के लिए सुझायी गई राशि– 2015066

(घ) अधिभार प्रक्रिया द्वारा वसूली के लिऐ सुझायी गई राशि –शून्य

(परिशिष्ट– xvii)

31. **सामान्य अभियुक्तिः–**

अभिलेखों का संधारण संतोषप्रद नहीं था। कई प्रमुख अभिलेख तथा ऑडिट रजिस्टर, अनुदान पंजी, ऋण एवं ऋण विनियोग पंजी का संधारण नही किया गया था। वर्षो से लम्बित अग्रिमों का समायोजन नहीं किया जा रहा था। नगर आयुक्त द्वारा अनुदान मद एवं दैनिक वसूली की राशियों को अनियमित रूप से गैर–राष्ट्रीयकृत बैंक से आदान–प्रदान करने के लिए निदेशित किया गया था। जिससे गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। बिना प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति के योजना के अनुमोदित प्राक्कलन को सामान्य पत्र के आधार पर अनियमित रूप से संशोधित करते हुए अग्रेतर भुगतान के लिए निदेशित किया जाना वित्तीय अनियमितताओं की ओर इंगित करती है।

अतः बिहार नगरपालिका नियमावली में वर्णित अभिलेखो को संधारित कराने हेतु यथाशीघ्र कार्रवाई की जाय एवं लेखा समिति का गठन कर लेखाओं के कार्य को पारदर्शी बनाया जाय।

–हस्ता–

राजेश कुमार साह

स0ले0प0अ0

– अनुमोदित –

स्थानीय लेखा परीक्षक बिहार

– सह –

उप महालेखाकार (स्था०-प०-I)

सं0.एल0ए0 / एस0एस0.1 / श0स्था0नि0 / दिनांकः–

कार्यपालक पदाधिकारी, नगर निगम, आरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है। अनुरोध है कि प्रस्तुत अंकेक्षण प्रतिवेदन में उठाये गये सभी बिन्दुओं / आपत्तियों का जबाब प्रतिवेदन प्राप्त होने के तीन माह के अन्दर अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त इस कार्यालय में अवश्य भेज दिया जाये।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखा परीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओं / विवरणी के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

–ह0–
वरीय लेखापरीक्षा अधि0 /
शहरी स्थानीय निकाय
बिहार, पटना

ज्ञापांकः–स्था०ले०प० / श०स्था०नि० / 14396 /1515 दिनांकः– 29.01.14

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु अग्रसारितः–

1. प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार सरकार, पटना।
2. जिलाधिकारी, भोजपुर

वरीय लेखापरीक्षा अधि0 /
शहरी स्थानीय निकाय
बिहार, पटना